



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-17102026-277251
CG-WB-E-17102026-277251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5460]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 5460]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

अधिसूचना

कोलकाता, 16 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5677(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989, [1989 का 24] (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्द्धमान जिला में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "आसनसोल मंडल में पूर्व रेलवे एवं डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खाना-प्रधानखंटा रूट पर 42 रेलवे फाटकों का उन्मूलन" के निष्पादन, रख-रखाव और प्रचालन के लिए आवश्यक है, का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पूर्व बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुमति प्रदान करेगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्द्धमान जिला में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात् "आसनसोल मंडल में पूर्व रेलवे एवं डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खाना-प्रधानखंडा रूट पर 42 रेलवे फाटकों का उन्मूलन" के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम— पूर्व बर्द्धमान

क्र. सं.	रेलवे फाटक	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अतिरिक्त अधिग्रहण का क्षेत्रफल	
					एकड़	हेक्टेयर
1	सं. 79/C/E IR किमी 126/1-3 खाना से गलसी स्टेशन के बीच।	गलसी	पिलग्राम -106 (एल. आर.)	408	0.180	0.073
				410	0.000	0.000
				412	0.000	0.000
				413	0.090	0.036
				414	0.090	0.036
				418	0.080	0.032
				420	0.000	0.000
				576	0.045	0.018
				575	0.010	0.004
				426	0.005	0.002
				574	0.040	0.016
				573	0.000	0.000
				451	0.005	0.002
				427 / 731	0.005	0.002
				427 / 730	0.010	0.004
				427 / 729	0.015	0.006
				448 / 643	0.030	0.012
				448 / 642	0.030	0.012
				448 / 641	0.030	0.012
				448	0.000	0.000
				434	0.075	0.030
				417	0.010	0.004
2			छोटामुड़े- 105 (एल. आर.)	114	0.095	0.038
				115	0.005	0.002
				116	0.250	0.101
				119	0.200	0.081
				120	0.005	0.002
				121	0.095	0.038

[फा. सं. W(3)420/1/DFC/ VOL-III]

विक्रम गुप्ता, प्रधान मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS**(Eastern Railway)****NOTIFICATION**

Kolkata, the 16th October, 2026

S.O. 5677(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the the Railways Act, 1989, (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose execution, maintenance and operation of the Special Railway Project namely, “Asansol Division - 42 Nos Elimination of level crossing in ER+DFC route from Khana – Pradhankanta” in the Purba Bardhaman District in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Purba Bardhaman, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub- section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the proposed Special Railway Project namely, “Asansol Division - 42 Nos Elimination of level crossing in ER+DFC route from Khana – Pradhankanta” in the Purba Bardhaman District in the State of West Bengal.

Name of District- Purba Bardhaman

Sl. No.	Level Crossing Gate	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Additional Acquisition Area	
					Acre	Hectare
1	NO. 79/C/E/ AT IR KM. 126/1-3 BETWEEN KHANA- GALSI STN.	GALSI	PILGRAM -106 (L. R.)	408	0.180	0.073
				410	0.000	0.000
				412	0.000	0.000
				413	0.090	0.036
				414	0.090	0.036
				418	0.080	0.032
				420	0.000	0.000
				576	0.045	0.018
				575	0.010	0.004
				426	0.005	0.002
				574	0.040	0.016

Sl. No.	Level Crossing Gate	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Additional Acquisition Area	
					Acre	Hectare
2				573	0.000	0.000
				451	0.005	0.002
				427/731	0.005	0.002
				427/730	0.010	0.004
				427/729	0.015	0.006
				448/643	0.030	0.012
				448/642	0.030	0.012
				448/641	0.030	0.012
				448	0.000	0.000
				434	0.075	0.030
				417	0.010	0.004
			CHOTAMURE-105 (L. R.)	114	0.095	0.038
				115	0.005	0.002
				116	0.250	0.101
				119	0.200	0.081
				120	0.005	0.002
				121	0.095	0.038

[F. No. W(3)420/1/DFC/ VOL-III]

VIKRAM GUPTA, Principal Chief Engineer